कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

–: कार्यालयीन आदेश :–

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06.07.2023

क्रमांक 105 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2023 :– छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र कमांक.एफ 1–18/2018/34–1, दिनांक 07.08.2018 से वित्त विभाग के जावक कमांक 597/ब–2, कम्प्यूटर कमांक–34–00683, दिनांक 20.07.2018 द्वारा अनुमति के परिपालन में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक 1669/स्था./दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से जारी विज्ञापन अनुसार छत्तीगसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 24.05.2019 को अनुरेखक की परीक्षा आयोजित की गयी थी। शासन का पत्र कमांक एफ 1–18/2018/34–1, दिनांक 11.01.2023 द्वारा वित्त विभाग के जावक कमांक 523/पं.क. 722/ब–2/वित्त/चार/2022 दिनांक 21.07.2022 द्वारा अनुरेखक के 10 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। **छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र कमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3, दि. 03.05.2023 द्वारा नियुक्तियों एवं चयन प्रकियाओं में आरक्षण के संबंध में जारी परिपत्र** के परिपालन में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 09.06.2023 को आयोजित द्वितीय एवं दिनांक 30.06.2023 को तृतीय कांउसिंलिंग में अभ्यर्थियों की विहित अर्हता संबंधी दस्तावेजों का विभागीय छानबीन समिति द्वारा परीक्षण पश्चात् उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अनुरेखक के पद पर वेतनमान लेवल–04, रूपये 19,500–62,000 प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में सूची के नीचे में दर्शित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	चयनित श्रेणी	संयुक्त मेरिट सूची क.	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।
1.	श्री राघवेन्द्र सिंह ठाकुर	श्री सुरेश सिंह ठाकुर	अनारक्षित (मुक्त)	06	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोस्वायांवि, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
2.	स्वाति नेताम	श्री प्रताप सिंह नेताम	अजजा (मुक्त)	98	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोस्वायांवि, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
3.	श्री कृष्ण कुमार	श्री शंकर लाल	अजा (मुक्त)	133	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोस्वायांवि, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4.	श्री अजय राम कुर्रे	श्री दुजराम कुर्रे	अजा (मुक्त)	147	कार्यालय मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र जगदलपुर।
5.	श्री मोहनीश	श्री भोजराम	अजा (मुक्त)	205	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोस्वायांवि, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
6.	श्री चंदन सिंह	श्री संतराम ध्रुव	अजजा (मुक्त)	243	कार्यालय मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र रायपुर।
7.	श्री शत्रुहन सिंह कंवर	श्री धरम सिंह कंवर	अजजा (मुक्त)	256	कार्यालय मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र बिलासपुर।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों पर मान्य होगी :–

1. अभ्यर्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 15 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेय निरस्त मानी जायेगी।
2. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, स्थाई जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के साथ दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी अनुप्रमाणन–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र एक माह के अंदर संबंधित कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग से प्राप्त करना होगा, यदि पुलिस द्वारा दिये गये उनके चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार की प्रतिकूल टीप/अपराधिक गतिविधियां पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
7. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित सेवा) की शर्ते तथा भर्ती नियम 2016 के नियम 18 अनुसार यह नियुक्ति परिवीक्षा अवधि पर होगी।
8. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का परिपत्र कमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 29.07.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर का वित्त निर्देश 21/2020, कमांक 372/260/वि./नि./चार/2020, दिनांक 29.07.2020 के अनुसार संबंधित को छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवक को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जायेगा, परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जायेगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
10. किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तिकर्ता को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा) नियम, 1960 के नियम–12 (ए) के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम का न हो देना होगा।
11. अनुरेखक के पद पर वरिष्ठता मेरिट सूची के अनुसार होगी।

12. अभद्रपूर्ण व्यवहार या असंतोषजनक कार्य होने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
13. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण–पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

टीप :– राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी अनुरेखक के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियॉं एवं चयन प्रकियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र/1–3 दिनांक 03.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी।

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ0क्र. 3071 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06.07.2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण–पत्रों की जांच के पश्चात् की उपस्थिति मान्य की जावे एवं तत्संबंध में उपस्थिति अवधि के पश्चात् प्रमुख अभियंता कार्यालय को सूचित करें।
3. संबंधित चयनित अभ्यथी (पंजीकृत डाक से) .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. कार्यालयीन आदेश।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

:: परिशिष्ट – एक ::

(देखिए पैरा 3 (क))

::: अनुप्रमाणन फार्म :::

चेतावनी :

1. अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजना के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा ।

2. यदि इस फार्म को पूरा करने और प्रस्तुत करने के पश्चात् उम्मीदवार विरूद्ध किया जाए, सिद्ध दोष ठहराया जाए या अर्जित आदि कर दिया जाए तो तत्संबंधी ब्यौरे यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या ऐसे प्राधिकारी को जिससे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो शीघ्र ही सूचित किये जाने चाहिये अन्यथा यह माना जायेगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है ।

3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी की गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।

---

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा उपनाम, यदि कोई हो यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए.

कुल नाम (सरनेम) नाम

---

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला या घर कमांक, गली, मार्ग सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो).

---

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला या घर (क) कमांक गली, मार्ग, सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय ~~का~~ नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो.

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश में आपका पता तथा (ख) भारतीय संघ में प्रवास की तारीख.

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहॉ आप पिछले पॉच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों. यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए. जहॉ आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों .

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला अथवा घर कमांक, गली, मार्ग, सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो.
1.	2.	3.	4.

5. <u>पिता का :</u>

(क) पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो	(क)
(ख) वर्तमान डाक पता, (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए)	(ख)
(ग) घर का स्थायी पता	(ग)
(घ) व्यवसाय	(घ)
(ड) यदि किसी सेवा में हो तो उनका नाम, पद तथा कार्यालय का पता दीजिए.	(ड)

5.	(एक) नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता :	
	(क) पिता	(क)
	(ख) माता	(ख)
	(ग) पति/पत्नी	(ग)
	(घ) उम्मीदवार	(ग)
	(दो) पति/पत्नि का जन्म स्थान	(दो)
7.	(क) जन्म तारीख	(क)
	(ख) वर्तमान आयु	(ख)
	(ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु	(ग)
8.	(क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य, जिसमें वह स्थित हो.	(क)
	(ख) वह जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी है .	(ख)
9.	(क) आपका धर्म	
	(ख) क्या आप अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं ? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हाँ हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए .	

10. शैक्षणिक अर्हताएं :
वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए, जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों से 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो :

शाला/महाविद्यालयों का नाम तथा पूरा पता .	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
1.	2.	3.	4.

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि		कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने के कारण।
	से	तक		
1.	2.	3.	4.	5.

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं ? क्या आप पर कभी अभियोजना चलाया गया है ? क्या आप कभी निरूद्ध किये गये हैं ? आपसे मुचलका लिया गया है ? क्या आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या आपके किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले सुझाव में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है ? उसके लिए इन्हें ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविघालय या किसी अन्य शौक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है ? निष्कासित किया गया है ?

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरत समय किसी भी न्यायालय/विश्वविघालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है ? यदि (क) अथवा (ख) में पढ़े गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हॉ में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले गिरफ्तारी निरोध, जुर्मानों, दोषी सिद्ध तथा देश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना चाहिए तथा इस कार्यालय को भरते समय न्यायालय/विश्वविघालय/शैक्षणि प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो, उसका स्वरूप बतलाना चाहिए .

(टिप्पणी :– कृपया इस अनुप्रमाणन फार्म के उपर दी गई चेतावनी भी देखें)

13. आपके मोहल्ले के दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों का (1) दो निर्देशियों (रेफरियों) के नाम जो आपको जानते हों :

(1) .....

.....

.....

.....

.....

.....

(2) .....

.....

.....

.....

.....

.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण हो . मैं ऐसी किन्ही परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ, जिनके कारण शासन के अधीन नियोजना पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो. मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए. तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिये या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने की अधिकारी होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

:– पहचान प्रमाण पत्र –:

(प्रमाण–पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए)

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी .

(दो) संसद या राज्य विधानसभा मंडल का सदस्य .

(तीन) सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी .

(चार) तहसीलदार या नायब उप–तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो.

(पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों तथा प्रमुख .

(छः) खंड, विकास अधिकारी.

(सात) पोस्टमास्टर.

(आठ) पंचायत निरीक्षक.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पिता/पति का नाम ..... को पिछले .....
वर्ष ..... माह ..... से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मुझे विश्वास है, सही है.

स्थान : .....
तारीख : .....

:: कार्यालय द्वारा भरा जावेगा ::

(एक) नियुक्ति अधिकारी का नाम,
पदनाम व पूरा पता.

(दो) वह पद, जिसके लिए उम्मीदवार
के संबंध में विचार किया जा रहा है.